स्वतंत्रता के पाश्चात् दलित आन्दोलन व पिछड़ा वर्ग

डॉ0 जयप्रकाश*

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान में कमजोर वर्गो अर्थात दलितों को लाभ देना आवश्यक था। इसके लिए संविधान में क्षतिपूर्ति के लिए संवैधानिक सुविधाएं और सूरक्षाएं दी गई। संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान किए गए जिससे समाज में जन्म व जाति के आधार पर किसी प्रकार का विभेद न हो सके। सभी को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समान अवसर और साधन प्रदान किए गए। भारत में राजनीतिक मुक्ति के साथ–साथ सामाजिक व आर्थिक शोषण से मुक्ति का ध्येय भी संविधान में उल्लिखित किया गया। उसके लिए अनेक अन्य व्यक्तियों से अधिक संरक्षण व संविधाएं दी जाए ताकि वे सदियों के पिछड़ेपन से उबर सके। इसके लिए उन्हें भारतीय संविधान में आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई जो संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में अनुसूचित है। जिन्हें स्वतंत्र भारत में ''संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और ''संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950'' में राज्यावार परिचिह्नित किया गया। आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं था बल्कि सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन रखा गया। मूलतः आरक्षण का आधार ''पिछड़ापन'' था और आरक्षण का प्रयोग पिछड़ेपन की समाप्ति तक किया जाना था। अतः भारतीय संविधान–निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 15(क), 16, 16(क), 17, 19, 21(क), 23, 29, 45, 46, 243, 330, 332, 335, 338, 340, 341, 342 और 366 के आधार पर भारतीय समाज को संरक्षणात्मक विभेदीकरण का ढ़ांचा प्रदान किया। इसके अन्तर्गत राज्य एक समतावादी समाज की स्थापना के लिए पिछड़े वर्गो को विशेष संरक्षण प्रदान कर सकता है। इस संरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में पिछड़े वर्गो को आगे बढ़ाने के साथ ही उन्हें राज्य की निर्णयन प्रक्रियाओं में सहभागी बनाना था।

भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अनुपात में क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत यानी कुल 22.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह प्रतिशत सभी प्रकार के आरक्षणों–राजनीतिक अर्थात राज्य विधान सभाओं और लोकसभा में आरक्षित स्थान, शैक्षिक अर्थात उच्च शिक्षा केन्द्रों और संस्थाओं में आरक्षित स्थान और रोजगार संबंधी आरक्षण अर्थात सरकारी नौकरीयो में आरक्षित पदो के लिए किया गया जब भी आरक्षण निर्धारित संख्या से अधिक हो जाता है तो किसी भी नागरिक को न्यायालय जाने का अधिकार होगा और न्यायालय यह निर्णय ले सकता है कि राज्य अथवा केन्द्र सरकार ने आरक्षण पर जो निर्णय लिया है वह तर्कयुक्त व बुद्धिसंगत है या नही।

सामाजिक न्याय को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में देखा गया। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय को मूल उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार भारत में कमजोर वर्गो को सामाजिक न्याय सुलभ कराने के उद्देश्य से व्यापक उपाय किए गए है। वे सभी उपाय संवैधानिक दायरे के अंतर्गत उद्धार पूर्ण है। दूसरे इन्हें शोषण व उत्पीड़न से बचाने के लिए आवश्यक रक्षापायो की व्यवस्था के अतिरिक्त उपयोगी विधानों के निर्माण का प्रावधान किया गया तथा तीसरे उनके शैक्षिक व आर्थिक विकास के लिए विविध योजनाओं व कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया। इससे स्पष्ट है कि वर्षो से चला आ रहा दलित आंदोलन गांधी, अम्बेड़कर व दलित समाज सुधारको को सफलता भारतीय संविधान में आरक्षण व संरक्षण के प्रावधान के रूप में मिली। इससे दलित वर्ग जिसे अनुसूचित जाति, जनजाति, हरिजन कहा जाता है को एक ऐसे समाज में जीने का अवसर मिला जो उसके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा व्यक्तित्व विकास के हितों का पोषक है तथा स्वतंत्रता व समानता का समर्थक है।

परन्तु दलित मुक्ति आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता के बाद एक बड़ा झटका 6 दिसम्बर 1956 को लगा जब दलित आंदोलन के महानायक ड़ॉ. भीमराव अम्बेडकर का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के बाद दो दशक तक दलित क्रांति और दलित आंदोलन की दिशा में कई मोड़ आए। जिन महत्वपूर्ण घटनाओं का दलित इतिहास में मुख्य स्थान दिया गया उनमें है–बौद्ध धर्मान्तरण आन्दोलन, भारतीय

* **राजनीतिशास्त्र विभाग, आजमगढ़**

रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना, दलित पैंथर विचारधारा और मराठी दलित साहित्य का सृजन। कांशीराम के बामशेफ, डी.एस.फोर. तथा अंततः बसपा (बहुजन समाज पार्टी) की स्थापना अंबेडकर के पुनरोत्थान के रूप में हुई।

20वी शताब्दी के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि ड़ॉ अंबेडकर के क्रांतिकारी सामाजिक दर्शन और धर्मान्तरण को दलितों में नई क्रान्ति को माना गया। 14 अक्टूबर, 1956 की तारीख दलित इतिहास में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन माना गया। इसी दिन अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तथा उनके लाखों अनुयायियों ने नागपुर दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। निःसंदेह धर्मान्तरण दलित मुक्ति की दिशा में एक अत्यंत साहसिक कदम् माना गया। ड़ॉ अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा, ' यह मेरा दुर्भाग्य है कि मै हिंदू अछूत के रूप में जन्मा हूं जो कि मेरे बस में नहीं था। किंतु मै आपसे यह वायदा करता हूं कि मै हिंदू के रूप में नहीं मरूगां। ड़ॉ अम्बेडकर के पश्चात् धर्मांतरण की गति तेज हो गयी। यद्यपि महारष्ट्र में महार जाति में धर्मातरण द्वारा बौद्ध बनने की प्रक्रिया खूब जोर–शोर से फैली। उत्तर भारत में डॉ. अम्बेडकर के अनुयायी तथा शिक्षित वर्ग ने भी बौद्ध धर्म के महत्व को स्वीकार किया और धीरे–धीरे बौद्ध धर्म अपनाना शुरू कर दिया। वर्तमान भारत में धर्मान्तरण एक समस्या के रूप में उभर रहा है। पर बिना किसी बड़े प्रलोभन के धर्म परिवर्तन का आधुनिक समाज में कोई अर्थ नहीं रह गया। इसीलिए धर्मांतरण आंदोलन वर्तमान सदी में कमजोर पड़ने लगा। इस समय समान नागरिक अधिकार आंदोलन दलित मुक्ति का प्रभावकारी माध्यम बन गया है।

ड़ॉ. अम्बेडकर के विचार में राजनीतिक सता के बिना दलितों का विकास संभव नहीं था इसीलिए वे दलित आंदोलन के विभिन्न मोड़ों एवं पड़ावों पर अंबेडकर सामाजिक–राजनीतिक मंच बनाते रहें। परन्तु उन्होंने महसूस किया कि पुराने तरीके और दृष्ट्रिकोण आम–जनता में बढ़ती प्रजातांत्रिक चेतना के कारण अपर्याप्त है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि नए सिद्धान्तों के निर्माण में सबका सहयोग लेना जरूरी है लेकिन जैसा कि उनकी सोच थी, वे अपनी असामयिक मृत्यु के कारण अपर्याप्त है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि नए सिद्धान्तों के निर्माण में सबका सहयोग लेना जरूरी है लेकिन जैसा कि उनकी सोच थी, वे अपनी असामयिक मृत्यु के कारण ''भारतीय रिपब्लिकन पार्टी'' की स्थापना का स्पप्न पूरा होते नहीं देख सके। परन्तु ड़ॉ. अम्बेडकर के अनुयायियों द्वारा भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की विधिवत स्थापना 1957 में की गई। इसका गठन अखिल भारतीय शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेसन (एस.सी.एफ.) में से किया गया जो भारत के दलित और पिछड़े वर्गो का नेतृत्व करता था। यद्यपि यह अनुसूचित जातियों का दल था, लेकिन आर.पी.आई. ने भूमहीन श्रमिको की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया। इसका प्रमुख कारण स्वर्गीय गायकवाड़ का नेतृत्व है जिन्होंने आर.पी.आई. के अन्य नेताओं के मुकाबले मजदूरों के संधर्ष घूलिया, जलगांव, नासिक जिलों और नागपुर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आयोजित किए। 1956 में संधर्ष की वजह से लगभग 50000 कार्यकर्त्ता जेल गए जब कांग्रेस नेतृत्व ने देखा कि आर.पी.आई. एक शक्तिशाली संगठन के रूप में उभर रही है तो 1967 के चुनावों में कांग्रेस–आर.पी.आई. के चुनावी गठबंधन का निर्णय किया गया। यहीं से आर.पी.आई. का पतन आरम्भ हो गया पार्टी राजनीति में इस प्रकार उलझ गई कि एक के बाद एक दल विभाजन हुए। इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर की मृत्यु के उपारांत शोषित–दलित क्रांति का जो आह्वान था वह टूटता बिखरता गया। डॉ. अम्बेडकर के बाद का दलित नेतृत्व आपस में गुत्थम–गुत्था होता रहा, उसने डॉ. अम्बेडकर का नाम तो बहुत लिया परन्तु सत्ता, सम्मान और सम्पत्ति के छोटे से हिस्सों के लिए वह सत्ता–प्रतिष्ठा से चिपकनें में ही जुटा रहा। आर.पी. आई. का वर्षो यही हाल रहा। यही नहीं वह एक जाति विशेष और क्षेत्रिय पार्टी बनकर रह गयी।

दलित पैंथर अमेरिका मे बसे नीग्रो युवको ने ब्लैक पैंथर नाम से गोरों की नस्ल और रंगभेद नीति के खिलाफ क्रांतिकारी संगठन बनाया था। उसी तर्ज पर महाराष्ट्र के शिक्षित युवा वर्ग ने 1973 (औपचारिक स्थापना) में अपने को 'दलित पैंथर' के रूप में संगठित किया । दलित पैंथर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था। किस तरह पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार में नक्सलवादी आंदोलन चला वैसे ही अनुसूचित जातियों का यह आंदोलन महाराष्ट्र में चला। इस संगठन ने 'दलित' शब्द की व्यापक व्याख्या की जिसमें धर्म और जाति को गौण मानते हुए तमाम शोषित और संत्रस्त लोगों को दलित माना गया। दलित पैंथर आंदोलन मराठी में साहित्यिक पत्रिकाओं के माध्यम से प्रारम्भ हुआ

जिसने वर्तमान व्यवस्था का विरोध किया और मराठी साहित्य में प्रगतिशील वामपंथी विचारधरा का प्रतिपादन किया। दलित पैंथर संगठन समाज में जाति व्यवस्था, पूजीवाद सामंतवाद तथा सूदखोरी के विरूद्ध सम्पूर्ण क्रान्ति पर आधारित संधर्ष का आहावन करता है। दलित पैथर ने कहा कि वे धार्मिक कट्टरता से चुनाव लडेगें और शोषित सर्वहारा लोगों के अधिकारों के लिए संधर्ष करेंगें। वास्तव में दलित पैंथर ने अपने आपकों बहुत कुछ साम्यवादी आदर्शो पर संगठित किया। ये राजनीतिक दृष्ट्रि से जागरूक, वैचारिक दृष्ट्रि से सामर्थवान, जुझारू और हर प्रकर के शोषण के विरूद्ध वैचारिक क्रांति का वातावरण बनाने के लिए कृतसंकल्प रचनाधर्मी थे। आर.पी.आई. ने कभी भी दलित पैंथरों को प्रमुखता नही थे। उनकी सर्वधा उपेक्षा की जबकि इसमें बुद्धिजीवी प्रगतिशील विचारधारा के युवक थे।

पैंथर का एक भाग जो अपने आपको प्रगतिशील मानता था, वैचारिक दृष्ट्रि से वामपंथी राजनीतिक दलों के साथ जोड़ता है। पैंथर का दूसरा भाग उदार है संवैधानिक सुबिधाओं के अनुसार अनुसूचित जातियों में सुधार लाना चाहता है। अंततः दलित पैंथर्स और अनुसूचित जातियों का संपूर्ण आंदोलन कई भागों में बंटा हुआ है।

बामसेफ : 1980 में कांशीराम बामसेफ (बेकवर्ड एवं मायनारिटीज शड्यूल्ड कास्ट इम्पलाई फेडरेशन) के माध्यम से भारतीय समाज मे एक नया दलित विमर्श लेकर अवतरित हुए। रिपब्लिकन पार्टी के पतन के बाद कांशीराम ने जो स्वयं भी उसी पार्टी में काम करते थे, नए सिरे से दलित वर्गो को लामबंद करना शुरू किया। इसके तहत सबसे पहले दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों का फेडरेशन कायम किया, जिसकी स्थापना जो यद्यपि उन्होंने दिसंबर 1978 में ही कर ली थी, पर उसका व्यापक असर 1980 में देश में दिखाई दिया नई दिल्ली, चंडीगढ़ और नागपुर में उसके विशाल अधिवेशन हुए। उन्होंने बामसेफ के तहत ही हिन्दी में बहुजन संगठन तथा अंग्रेजी में आप्रस्ड इंडिया (मासिक) पत्रों का प्रकाशन किया। यह एक क्रान्तिकारी कदम था, जिसने बहुत बड़े पैमाने पर देश भर के दो लाख कर्मचारियों को बामसेफ का नियमित सदस्य बनाया। जिसमें डाक्टर, इंजिनियर, स्नातक, स्नातकोत्तर और रिसर्च स्कालर थे। बामसेफ को ब्रेन बैक, टैलेंट बैक और आर्थिक बैक माना जाता है। परन्तु अब यह भी विभिन्न भागों में बंटा हुआ है।

डी. एस. फोर. (दलित शोषण समाज संधर्ष समिति) : 6 दिसम्बर 1981 में कांशीराम ने डी.एस. फोर. की स्थापना की। यह आंदोलन का वह प्लेटफार्म था, जिसने आगे चलकर राजनैतिक संधर्ष का रूप धारण किया। समता और सम्मान के नारे के साथ डी.एस.फोर. ने कन्याकुमारी से कारगिल और कोहिमा से पोरबंदर तक अखिल भारतीय साइकिल मार्च शुरू किया, जो सौ दिन के बाद दिल्ली में समाप्त हुआ और जिसमें तीन लाख लोगों ने भाग लिया। 1982 में डी.एस.फोर. को हरियाणा चुनावों में सफलता मिली।

बसपा (बहुजन समाज पार्टी) : 14 अपैल 1984 में कांशीराम ने डी.एस.फोर. की राजनैतिक कार्यवाही से उत्साहित होकर ''बहुजन समाज पार्टी'' की स्थापना की। कांशीराम ने 1988 तक अस्पृस्यता, अन्याय, असुरक्षा और असमानता के विरूद्ध एक सघन सामाजिक कार्यक्रम चलाय। 1990 तक उन्होंने पूरे देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति कार्यक्रम चलाया। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उनके पांच कार्यक्रम थे 1. आत्मसम्मान 2. स्वतंत्रा 3. समता 4. जाति का विनाश 5. अस्पृश्यता अन्याय, अत्याचार तथा आतंक का उन्मूलन। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उनके पांच कार्यक्रम चलाए 1. किसान–मजदूर आंदोलन 2. सफाई मजदूर आंदोलन 3. कंवल भारती, दस्तकार आंदोलन 4. शरणार्थी आंदोलन और 5. भागीदारी आंदोलन। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के ये दोनों कार्यक्रम भारतीय राजनीति में एक नए युग का सुत्रपात थे। ये कार्यक्रम क्रांतिकारी थे क्योंकि इन्होंने दलित विमर्श को ही नहीं दलित राजनीति को भी नया आयाम दिया।

कांशीराम और उनकी बहुजन पार्टी की दृढ़ मान्यता है कि भारतीय समाज की यह अनयायपूर्ण सोपानवादी व्यवस्था छिटपुट सरकारी सुविधाओं, सामाजिक सुधारों या आरक्षण जैसे प्रावधानों से नहीं बदल सकती। कांशीराम का एक ही नारा है कि सभी प्रकार से सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक सुधार और प्रगति की कुंजी मानते थे। जहां तक दलित राजनीति के उभार का प्रश्न है, निशिचित रूप से कांशीराम ने महात्मा फूले ओर अंबेडकर के चिंतन और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है।

वर्तमान बहुजन समाज पार्टी की कर्णधार मायावती 1977 से 1984 तक अध्यापन के साथ–साथ कांशीराम द्वारा संस्थापित बामसेफ एवं डी.एस.फोर. के कार्यक्रमों में ही हिस्सा लेती रहीं। लेकन जब 14 अप्रैल, 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ वह इस दल की महासचिव नियुक्त की गई। बसपा ने राजनीति में प्रयोग के तौर पर मायावती को चुनाव में उतारा, तो दलित आंदोलन और बहुजन क्रांति की सुत्रधार बनी मायावती ने बसपा को आसमान पर पहुंचा दिया। अब यह दलित आंदोलन के साथ–साथ स्वतंत्र राजनीतिक आंदोलन बनता जा रहा है। 3 जून, 1995 से 17 अक्टूबर 1995 तक देश के सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। दूसरी वार 1996 में तथा तीसरी बार 2002 में मख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। 13 मई 2007 को मयावती चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं। उन्होंने राज्य में बहुमत प्राप्त किया। कांशीराम व मायावती ने गरीब दबे–पिसे, दलितों व बहुजन समाज के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया तथा बहुजन समाज के स्वाभिमान, आत्मसम्मान, जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की, राजनीतिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। समन्वय से सत्ता दलित–शोषित समाज के व्यापक हित में स्वीकारी है। आज बसपा दलितों की अस्मिता का प्रतीक बन गई है तथा इसका जनाधार धीरे–धीरे बढ़ रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सिंह, रामगोपाल : *भारतीय दलितों की समस्याएं एवं उनका समाधान,* मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1986।
2. सिंह, रामगोपाल : *सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष,* राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 1994।
3. कंवल, भारती : *दलित विमर्श की भूमिका,* इतिहासबोध प्रकाशन, इलाहाबाद, 2004।
4. विवके, रामलाल : *महात्मा गांधी जीवन और दर्शन,* पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1996।
5. पूरणमल : *दलित संघर्ष और सामाजिक न्याय,* आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2002।
6. सिंह, रामगोपाल : (संपा) *डॉ. अबेडकर का सामाजिक चिंतन,* जैन ब्रदर्स, जोधपुर, 1994।
7. प्रसाद, अनिरूद्ध : *आरक्षण सामाजिक न्याय एवं राजनैतिक संतुलन,* रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1991
8. नारंग, ए. एस. : *भारतीय शासन एवं राजनीति,* गीतांजली पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2000।